सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 98 / दावा / 2020 दायरा दिनांक :– 24.07.2020

GCMS ID–2020 / 00195

1. भगवान प्रसाद आ0. बद्रीनारायण जाति ब्राहमण निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. शोजी आ0 हरनाथ जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
2. देवीलाल आ0 भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
3. मोतीलाल आ0 हरनाथ जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
4. गिरिराज आ0 रामलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
5. जगदीश आ0 हरनाथ जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
6. बाबूलाल आ0 भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
7. बृजेश आ0 देवीलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
8. लादूलाल आ0 मोतीलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
9. महावीर आ0 भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
10. नाथूलाल आ0 भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
11. भवंरलाल आ0 कंवरा जाति बैरवा निवासी बैरवा का झौपडा नेत तह0 हिण्डोली।
12. रामदयाल आ0 भंवरलाल जाति माली निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 188 रा0टि0 एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी :– श्री विजय माहेश्वरी
वकील प्रतिवादीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :– 28 / 04 / 2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धोवडा पटवार क्षेत्र धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 198 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1288 / 2428 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 1289 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1290 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1291 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1327 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1328 / 2498 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा विस्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–77 में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। नेत पटवार क्षेत्र नेत तहसील हिण्डोली में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खाता संख्या 142 की कृषि भूमि खसरा संख्या 435 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 436 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 437 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 518 रकबा 2 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा विरिथत है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवतफ 2074–77 में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमिया पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपने स्वामित्व की उक्त भूमियों के चारो ओर तार फेसिंग की हुई है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर तोर फेसिंग 50–60 वर्ष से भी अधिक समय से इसी प्रकार चली आ रही है। वादी अपनी भूमियों को स्वयं अथवा आधोली पर काश्त करवाता है। वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमिया अलग अलग गांवों में विरिथत है किन्तु दोनों गांवो में सीमा मिली हुई होने के कारण दोनों चरणों में वर्णित भूमिया पास पास विरिथत है। वादी की कृषि भूमि खसरा संख्या 518 रकबा 2 बीघा ग्राम ने के पश्चिम व दक्षिणी ओर कृषि भूमि खसरा संख्या 519 रकबा करीब 9 बीघा 19 बिस्वा विरिथत है। उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी शोजीलाल को 5 बीघा भूमि आंवटित होना बताया है, शेष 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज है जिस पर आंवटी को कोई कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर अन्य लोगों ने कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण ने गांव में एक नाजायज गिरोह बना रखा है। प्रतिवादी शोजीलाल उक्त गिरोह का सरगना है। प्रतिवादी शोजीलाल का उक्त स्थान पर कभी भी किसी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादी शोजीलाल अपने को आंवटित भूमि की आड में वादी की भूमियों पर जबरन कब्जा करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। शेष सभी प्रतिवादीगण उक्त शोजी के भाई बन्ध व मिलने वाले होने के कारण मिलकर वादी की भूमियो पर जबरन शोजी का कब्जा कराना चाहते है। प्रतिवादी शोजी राजनितिक रूप से वर्तमान सरकार में प्रभावशाली व्यक्ति है एंव उसके वर्तमान सरकार राजनैतिक नेताओं से गहरे संबंध है, इस कारण शासन प्रशासन भी वादी की भूमियों पर प्रतिवादी शोजी का कब्जा कराने में सहयोग करते है। वर्तमान में वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों को हाकजोत कर फसल बोने के लिए तैयार किया हुआ है। दिनांक 09.07.2020 को प्रतिवादीगण एक नाजायह गिरोह बनाकर वादी की भूमियों में जबरन कब्जा करने के लिए वादी के खेतों के चारो ओर लगी हुई तारफेसिंग को उखाडने पर एंव वादी की भूमि पर कब्जा करने हेतु आए किन्तु वादी व उसके आधोलिए के विरोध के कारण उस समय वे तार फेसिंग को नहीं उखाड सके किन्तु जाते जाते वादी को धमकी देकर गए है कि बरसात होते ही हम उक्त भूमियों पर जबरन कब्जा करके रहेगे एवं वादी द्वारा विरोध करने पर उसके जान माल के खतरे के लिए तैयार रहना होगा। यही वादी को वादोत्पत्ति का कारण है। वादी अकेला व्यक्ति है एवं व लडाई झगडे में विश्वास नहीं करता है। प्रतिवादीगण ताकतवर एंव राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है एंव अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एंव वादी को अनुसूचित जाति जन जाति अधिनियम के तहत झूठे मुकदमें फंसाने की धमकी देकर वादी की भूमियों पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण को वादी के स्वामित्व अधिपत्य की भूमियों पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय श्रीमान के वाद पेश कर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे कि प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूमियों पर जबरन कब्जा नहीं करें एवं न ही वादी को उसके स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियों से बेदखल करें। वादी को वाद कारण दिनांक 09.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमियों की तर फेसिंग को हटाकर कब्जा करने का प्रयास करने व धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित भूमिया ग्राम धोवडा व ग्राम नेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान को उक्त वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी की प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित वादी के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियों पर जबरन कब्जा नहीं करें एवं न ही वादी के उसके स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियों से बेदखल करे। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो, वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध दिनांक 08.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू–1 व रामलक्ष्मण बैरवा पी0डब्ल्यू–2 एवं शम्भू बैरवा पी0डब्ल्यू–3 के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल है।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खाता संख्या 198 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1288/2428 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 1289 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1290 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1291 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1327 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1328/2498 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा व खाता संख्या 142 की कृषि भूमि खसरा संख्या 435 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 436 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 437 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 518 रकबा 2 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नेत पटवार मण्डल नेत में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन गिरोह बनाकर कब्जा करने पर आमादा है। वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से पाबंद किया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण की क्रम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियॉ वादी की खातेदारी भूमियॉ है जिस पर प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा/दखलंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/साक्ष्य अखडिंत है जिनके खंडन बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया/चाराजोही न्यायालय में नहीं की गई है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 198 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1288/2428 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 1289 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1290 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1291 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1327 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1328/2498 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा व खाता संख्या 142 की कृषि भूमि खसरा संख्या 435 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 436 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 437 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 518 रकबा 2 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नेत पटवार मण्डल नेत पर जबरन कब्जा नहीं करने, वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने एवं वादी को बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखित दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

28/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446